कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1484 /11–सी–FP/UP/ROAD/43247/2019, लखनऊ, दिनांकः जनवरी 27, 2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
बरेली वृत्त, बरेली।

विषयः– जनपद शाहजहाँपुर में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा पुत्तूलाल चौराहा–रोजा अडडा चौराहा (चैनेज 0.00–2.950) हथोडा चौराहा–पुत्तूलाल चौराहा (चैनेज 0.00–2.750) जी0आई0सी0 से अटसालिया रेलवे फाटक रोड (चैनेज 0.00–3.950) बरेली रोड से गर्रा रोड तक (चैनेज 0.00–1.800) कुल 9.16 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 523 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव FP/UP/ROAD/43247/2019

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–1978/14–1, दिनांक 18.01.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1– याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न है, किन्तु तिथि का स्थान रिक्त है। अतः प्रमाण पत्र में तिथि अंकित कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।

2– प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु आनलाइन भाग–2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सारांश की सूची संलग्न नहीं की गयी है।

3– आनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(iii) में क्षतिपूरक वनीकरण के जियो रिफ्रेन्स डिजिटल मैप के स्थान पर प्रस्तावित स्थल का मैप अपलोड किया गया है जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलीट कर क्षतिपूरक वनीकरण का सत्यापित जियो रिफ्रेन्स डिजिटल मैप अपलोड करें।

4– आनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(v) के Addional Information Detail में प्रस्ताव की हार्डकॉपी में संलग्न सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों को upload नहीं किया गया है। अतः प्रस्ताव की हार्डकॉपी में संलग्न सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(v) में अपलोड करें।

5– प्रभावित संरक्षित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर 08 वर्षों के अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न किया गया है जिसमें वृक्षारोपण 625 पौधे प्रति हे0 की दर से प्रस्तावित की गयी है जो कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है। अतः भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कम से कम 1000 पौधों का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में धनराशि सहित अपलोड करें।

6– पेज सं0–69 पर संलग्न अतिरिक्त प्राक्कलन को प्रस्ताव से पृथक करें।

7– आपके द्वारा 10 हे0 एवं 8.50 हे0 के अवनति वनभूमि के दो अलग–अलग प्राक्कलन संलग्न किये गये है जबकि प्रस्ताव में आपके द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण का जियो रिफ्रेन्सड डिजिटल मैप 21 हे0 का एक ही मैप संलग्न किया गया है। अतः दो प्राक्कलन के स्थान पर एक ही प्राक्कलन संलग्न किया जाय।

उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए सशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

27/1

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 1484/11–सी– FP/UP/ROAD/43247/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, शाहजहाँपुर।

2– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, शाहजहाँपुर।

27/1

OLC

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।